संख्या– 96/ /XXIV–नवसृजित/2018–07(01)/2017 टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित देहरादून: दिनांक 26 सितम्बर, 2018

विषय – **Trans/Third Gender** बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्राय: यह देखने में आया है कि Trans/Third Gender बच्चों द्वारा विद्यालयों में प्रवेश नहीं लिया जाता है और न ही वे सामान्य नागरिक की तरह देश की प्रगति में योगदान देने में सक्षम हो पाते हैं, फलस्वरूप प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों (राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय व अन्य निजी शिक्षण सस्थानों) में Trans/Third Gender बच्चों को प्रवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, ताकि वे सामान्य बच्चों भांति शिक्षा ग्रहण कर समाज के विकास में उचित योगदान प्रदान कर सकें।

2– अत: उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह सुनिश्चत किया जाय कि प्रदेश के किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु Trans/Third Gender बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो तथा उन्हें शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समुचित प्रोत्साहन प्राप्त हो।

भवदीय,
26/9/18
(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–961 (1)/ XXIV- नवसृजित/2018–07(01)/2017 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
(कवीन्द्र सिंह)
सयुक्त सचिव।